न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 664 /2025
जीसीएमएस नं. :– 2025/829
आरआरसीएमएस नम्बरः– 20260112560081

प्रार्थीगण :–

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र लालसिंह
2. गोविन्द सिंह पुत्र गणपतसिंह
3. विशनसिंह पुत्र प्रेमसिंह
जातियान राजपूत निवासीगण
सालवा खुर्द तहसील पीपाड़शहर
जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्ता
1. कमरूखान मेहर प्रार्थीगण की ओर से।
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी।

दर्ज दिनांक :–17/12/2025

निर्णय

दिनांक :– 27/04/2026

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सालवा खुर्द पटवार हल्का सालवा खुर्द भू.अभि.नि. सालवा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी संख्या 1 नरेन्द्र सिंह की कृषि भूमि खसरा संख्या पुराना 777 रकबा 5.9138 हैक्टेयर इन्द्राज था जिसे वर्तमान सर्वे रिसर्वे में खसरा संख्या 2392 व 2395 दो खसरो में विमक्त करते हुए खसरा संख्या 2392 रकबा 0.0997 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2395 रकबा 4.4554 हैक्टेयर किया गया। जो कि अशुद्ध हैं। ग्राम सालवा खुर्द पटवार हल्का सालवा खुर्द भू.अभि. नि. सालवा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी संख्या 2 गोविन्द सिंह की कृषि भूमि खसरा संख्या पुराना 777/2 रकबा 5.9138 हैक्टेयर इन्द्राज था जिसे वर्तमान सर्वे रिसर्वे में खसरा संख्या 2391 करते हुए खसरा संख्या 2391 रकबा 5.2469 हैक्टेयर किया गया। जो कि अशुद्ध हैं। ग्राम सालवा खुर्द पटवार हल्का सालवा खुर्द भू.अभि. नि. सालवा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी संख्या 3 विशन सिंह की कृषि भूमि खसरा संख्या पुराना 777/1 रकबा 5.9138 हैक्टेयर इन्द्राज था जिसे वर्तमान सर्वे रिसर्वे में खसरा संख्या 2390, 2393 व 2394 तीन खसरो में विभक्त करते हुए खसरा संख्या 2390 रकबा 6.8644 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2393 रकबा 0.0209 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2394 रकबा 1.3868 हैक्टेयर किया गया। जो कि अशुद्ध हैं। प्रार्थीगण ने अपने अशुद्ध हिस्सो को सही करवाने के लिए अप्राथी के यहाँ पर आवेदन किया जिस पर हल्का पटवारी व आरआई द्वारा मौका निरीक्षण कर जॉच की गई व मौके की स्थिति अनुसार रिपोर्ट बनाई गई जिसके अनुसार तहसीलदार पीपाड़ शहर को हल्का पटवारी व आर आई ने अनुशंसा की कि खसरा संख्या 2392 रकबा 0.0997 हैक्टेयर के स्थान पर 1.5393 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2395 रकबा 4.4554 हैक्टेयर यथावत रखा जावे व खसरा संख्या 2390 रकबा 6.8644 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 2.6379 हैक्टेयर, खसरा सख्या 2393 रकबा 0.0209 हैक्टेयर के स्थान पर 2.0000 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2394 रकबा 1.3868 हैक्टेयर यथावत रखा जावें तथा खसरा संख्या 2391 रकबा 5.2469 हैक्टेयर के स्थान पर 6.0247 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

किया जावें। इसलिए उपरोक्तानुसार शुद्धि हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सालवा खुर्द की राजस्व सीमा में स्थित खसरा संख्या 2392 रकबा 0.0997 हैक्टेयर के स्थान पर 1.5393 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2395 रकबा 4.4554 हैक्टेयर यथावत रखा जावे व खसरा संख्या 2390 रकबा 6.8644 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 2.6379 हैक्टेयर, खसरा सख्या 2393 रकबा 0.0209 हैक्टेयर के स्थान पर 2.0000 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2394 रकबा 1.3868 हैक्टेयर यथावत रखा जावें तथा खसरा संख्या 2391 रकबा 5.2469 हैक्टेयर के स्थान पर 6.0247 हैक्टेयर किया जावें व रेकर्ड दुरुस्ती के आदेश फरमाया जाकर भूमिधारी तहसीलदार को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को समन जारी किये गये। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर की रिपोर्ट अनुसार निम्न सारण एवं रिपोर्ट 8350/ 31.12.2025 के अनुसार खात एवं तरमीम दुरूस्ती की अनुशंषा की गई।

क. सं.	जमाबंदी सम्तव 2075–78 में रकबा एवं तरमीम प्रविष्टिया			वर्तमान प्रविष्टि(अशुद्ध प्रविष्टि)			आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)		
	खाता संख्या	ख.स.	रकबा है. में	खाता संख्या	ख.स.	रकबा है. में	खाता संख्या	ख.स.	रकबा है. में
1	894	777	5.9138	981	2392	0.0997	981	2392	1.5693
					2395	4.4554		2395	4.4554
				योग		4.5551			6.0247
2	713	777/1	5.9138	711	2390	6.8644	711	2390	2.6379
					2393	0.0209		2393	2.0000
					2394	1.3868		2394	13868
				योग		8.2721			6.0247
3	136	777/2	5.9138	136	2391	5.2469	136	2391	6.0247

हमने विद्वान पक्षकारान् की बहस सुनी, वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दौहराते हुए प्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार पीपाड़ शहर की रिपोर्ट अनुसार खाता एवं तरमीम दुरूस्ती का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

आदेश

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब का अवलोकन एवं पक्षकारान् बहस पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सालवाखुर्द के खसरा संख्या 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395 राजस्व नक्शे व रेकर्ड में रिपोर्ट 8350 दिनांक 31/12/2025 अनुसार दुरुस्ती की आवश्यक कार्यवाही कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त जवाब 8350 दिनांक 31/12/2025 को निर्णय का भाग समझा जावें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 27/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर